प्रेस नोट
दिनांक 12.11.2024, थाना को0देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा गर्भवती महीला को मारने पीटने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-473/2024, धारा 85, 91, 115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त -01. संजय गौतम पुत्र बच्चाराम निवासी बैसनपुरवा चाँदपुर थाना को0देहात, जनपद गोण्डा को कटहा घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.11.2024 को वादिनी द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिए की उनकी गर्भवती पुत्री को उसके पति व सास -ससुर द्वारा मारते- पीटते हुए प्रताड़ित करते रहते है। दिनांक 20.10.2024 को पूरे परिवार के लोगो द्वारा पारा पीटा गया जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को चोट लगने से अस्पताल में मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-473/2024, धारा 85, 91, 115(2) बीएनएस बनाम संजय गौतम (पति) आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 12.11.2024 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त -01. संजय गौतम पुत्र बच्चाराम निवासी बैसनपुरवा चाँदपुर थाना को0देहात, जनपद गोण्डा को कटहा घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संजय गौतम पुत्र बच्चाराम निवासी बैसनपुरवा चाँदपुर थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-473/2024, धारा 85, 91, 115(2) बीएनएस थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
02. हे0का0 शत्रुधन मौर्या
03. हे0का0 चन्द्रकेश भाष्कर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.11.2024, साइबर सेल,

जनपद गोण्डा।

साइबर सेल गोण्डा द्वारा सइबर फ्रॉड से पीड़ित के रु 25,000/- रूपये कराए वापस, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को कहा धन्यवादः-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि 25,000/- रूपये पीड़ित के खाता में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक निजामुद्दीन निवासी महराजगंज थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा फ्रांड़ काल पर क्रेडित कार्ड डिटेल शेयर कर देने से रूपये फ्राड़ कर लेने की शिकायत पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के समक्ष की गयी थी। जिस पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। जनपदीय साइबर सेल द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते आवेदक निजामुद्दीन के 25,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

महोदय द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम में साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 शादाब आलम, का0 हरिओम टण्डन, का0 मनीष कुशवाहा, का0राजेन्द्र, का0 आलोक शामिल रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.11.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 04 माह का सश्रम कारावास व रूपए 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अवैध मादक पदार्थ तस्कर को 04 माह सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 06.12.2022 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त ननगोडे उर्फ ननकऊ लोनिया पुत्र भगवाने लोनिया निवासी लोनियनपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराईच को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना कटराबाजार के पैरोकार का0 प्रमोद कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा श्री सुर्यप्रकाश सिंह महोदय द्वारा 04 माह का सश्रम कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. ननगोडे उर्फ ननकऊ लोनिया पुत्र भगवाने लोनिया निवासी लोनियनपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराईच।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-553/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।